

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

K.T.S No.- 47/2021-22

अनिस अहमद एवं अन्य।

बनाम

श्याम गोप एवं अन्य।

आदेश

यह वाद दिनांक— 29.03.2022 को अनिस अहमद, पिता— स्व० जियाउद्दीन अहमद, निवासी ग्राम— नियर जेवियर स्कूल, पो०— चाईबासा, थाना— सदर चाईबासा, जिला— पश्चिमी सिंहभूम एवं 01 अन्य के द्वारा दायर वाद पत्र के Cancellation of sale deed no. 499/470 for the year 2017 Schedule “A” and Schedule “B” में वर्णित भूमि के लिए प्रतिवादी श्याम गोप, पिता— स्व० अर्जुन गोप, निवासी ग्राम— जैतगढ़, पो०— जगन्नाथपुर, थाना— जगन्नाथपुर, जिला— पश्चिमी सिंहभूम एवं 03 अन्य के विरुद्ध कोल्हान दिवानी वाद दाखिल किया गया है। इस वाद में उभय पक्ष या उनके अधिवक्ता के द्वारा लम्बे समय से कोई पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष या उनके अधिवक्ता को वाद भूमि में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त परिस्थिति में उभय पक्ष को वाद भूमि में अभिरुचि नहीं रहने के कारण इस वाद को खारिज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।

१।
२६.०५.२३
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

१।
२६.०५.२३
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।